International Journal of Applied Research 2015; 1(10): 152-156

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 3.4
IJAR 2015; 1(10): 152-156
www.allresearchjournal.com
Received: 15-07-2015
Accepted: 16-08-2015

समशेर सिंह
शोधार्थी
दिल्ली विश्वविद्यालय

Correspondence:
समशेर सिंह
शोधार्थी
दिल्ली विश्वविद्यालय

नेल्सन मंडेला : एक युग पुरुष (18 जुलाई, 1918 – 5 दिसम्बर, 2013)

समशेर सिंह

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है (अरस्तु) समाज में उसे वो अवसर और सुविधायें प्राप्त होती हैं जो उसके सम्पूर्ण विकास में सहायक होती है। परंतु वास्तविक यह भी है कि हर समाज की कुछ संरचनाएँ होती है, एक सामाजिक ढाँचा होता है जो प्रायः मानव निर्मित होता है जो किसी वर्ग विशेष के लिए लाभकारी तो किसी अन्य वर्ग व समुदाय के लिए अहितकारी होती है। वर्णव्यवस्था भारत की सामाजिक संरचना का आधार रही है। अफ्रीकी महाद्वीप में प्रायः नस्ल के आधार पर विभक्त समाज देखने को मिलता है। जो प्रायः हिंसा या नरसंहार का भी कारण बनता है। दक्षिण अफ्रीका भी एक लम्बे समय से एक ऐसी अमानवीय संरचना का शिकार रहा जिसे रंगभेद के नाम से जाना गया। अर्थात गोरे और काले का भेदभाव।

भारत में अम्बेडकर ने वर्णव्यवस्था के विरुद्ध सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांति का आह्वान कर हाशिये पर पड़े दलितों की दावेदारी पेश की और संविधान में उन्हें वो सब अधिकार प्राप्त करे जिनसे वो सदियों से वंछित थे। नेल्सन मंडेला भी ऐसे ही युगपुरुष थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद पर आधारित समाज को विखण्डित कर विश्व को मानवता का संदेश दिया।

मंडेला से पूर्व महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका को अपनी कर्मभूमि बनाया था और रंगभेद की नीति के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से आंदोलनों का संचार किया जिसके परिणामस्वरूप वहाँ पर मौजूद भारतीयों के साथ–साथ अश्वेत लोगों में भी अपने अधिकारों के प्रति चेतना का संचार हुआ।

दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों पर सदियों से हो रहे शोषण और उत्पीड़न के विरोध में नेल्सन मंडेला ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, सताईस साल तक एक कैदी के रूप में जीवन व्यतीत किया। यही कारण था कि 11 फरवरी, 1990 को जब डी. क्लार्क की तत्कालीन सरकार ने उन्हें कारागार से मुक्त किया तो समस्त विश्व ने इस महान योद्धा का अभिनन्दन किया।

नेल्सन मंडेला ने एक योद्धा की भांति अपनी जीवनयात्रा गांधीवादी आदर्शों के मार्ग से आरम्भ की, फिर मार्क्सवादियों की ऊँचाईयों को छुआ और अंत में अपनी पूर्व स्थिति अर्थात् गांधीवाद की ओर लौट आये। इस प्रकार नेल्सन मंडेला ने अपनी आवाम की आजादी के लिए हिंसक और अहिंसक दोनों ही मार्गों का अनुसरण किया।

नेल्सन मंडेला के साथ एक नवीन बात यह है कि वे केवल चिन्तन के धरातल पर ही नहीं अपितु उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करने में भी उन सभी उपायों का सहारा लेते हैं जिससे बाध्य होकर श्वेत शासन उनके सामने घुटने टेक देता है और वे रंगभेद रूपी अभिशप्त संस्था को ध्वस्त कर समाजवाद एवं प्रजातंत्ररूपी पुष्पवाटिका के निर्माण में जुट जाते हैं। नेल्सन मंडेला अपने उद्देश्यों की पूर्ति में यहाँ एक चिन्तक की अपेक्षा एक युग पुरुष एवं कर्मवीर अधिक दिखाई पड़ते हैं।

नेल्सन मंडेला : राजनीति में प्रवेश : नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ। नेल्सन मंडेला बचपन में बुजुर्गों से अपने कबीले की कहानियाँ सुनते थे कि श्वेत लोगों के यहाँ आने से पूर्व उनका जीवन खुशहाल और शांतिप्रिय था, किस प्रकार से वो स्वतंत्रतापूर्वक रहते थे लेकिन श्वेत लोगों ने उनके इस शांतिप्रिय जीवन में हलचल पैदा कर दी और उन्होंने अपने निवास स्थान को छोड़कर शहर से बाहर अलग बसने पर मजबूर कर दिया। इसलिये मंडेला ने इस गुलामी के खिलाफ बगावत करने का फैसला कर लिया।

अपने इसी उद्देश्य के लिए नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर एक संघर्षपूर्ण लड़ाई का आह्वान किया जिसके लिए उन्होंने सैनिक संगठन बनाकर अश्वेत लोगों को लड़ाई के लिए प्रशिक्षित किया। इसके लिए उन्हें न केवल श्वेत सरकार के अत्याचारों का शिकार होना पड़ा बल्कि कई बार जेल भी गये। देशद्रोह के अपराध में उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी

गई लेकिन इससे नेल्सन मंडेला और अश्वेत लोगों के आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की लड़ाई में कोई कमी नहीं आई। सन् 1938 ई. में उन्होंने 'पार्ट ब्लेयर' विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहाँ भी राजनीति में सक्रिय रहे इसके लिये उन्होंने पार्ट ब्लेयर विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया।

नेल्सन मंडेला और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस

राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर वे मार्च 1944 ई. में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गये। उनका विश्वास था कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की गतिविधियाँ ही उनको उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता कर सकती है और संघर्ष का एक नया क्षेत्र कायम कर सकती है। इस समय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चीफ एलबर्ट लुथूली थे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी जोकि बहुत कुछ गांधी जी द्वारा स्थापित नेटाल इंडियन कांग्रेस से प्रेरित थी, लेकिन सक्रिय राजनीति में इस समय वह कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रही थी। श्री ए.बी. बुक्षा के नेतृत्व में वह संगठन काफी कमजोर हो गया जिसके कारण कार्यकर्ता भी इससे निराश हो चुके थे। लेकिन युवा नेल्सन मंडेला के आगमन ने इसमें नई जान फूक दी। उनकी कार्यशैली सभी लोगों को इतनी पसंद आई कि वे शीघ्र ही लोकप्रिय हो गए और स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा प्राप्त हुई।

अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की गतिविधियों और कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त बनने के लिए मंडेला ने अपने कुछ सहयोगी श्री वाल्टर सिसलू, श्री ओलिवर टम्बो तथा एन्टोन लेर्म्बेड के साथ मिलकर 1944 ई. में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस संगठन की एक युवा लीग की स्थापना की। यह संगठन कुछ हद तक भारत के युवा कांग्रेस संगठन की तरह ही था। 40वें दशक के मध्य जब भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन अपने चरम अवस्था में था तो मंडेला ने इसे आदर्श बनाया और इसके माध्यम से उन्होंने गौरी सरकार से खिलाफ देश में जगह–जगह प्रदर्शन करने शुरू कर दिये।

ए.एम. लेम्बेडा, युवा लीग के प्रथम अध्यक्ष बने। 1944 ई. के घोषणा पत्र में अफ्रीकी वासियों को विकास, प्रगति और राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रोत्साहन व तीव्र करने के लिए, इकट्ठा होने की बात कही गयी। विशेषकर अफ्रीकन युवाओं की एकता की बात कही, साथ ही साथ उनके प्रशिक्षण व अनुशासन की भी बात कही गई। अफ्रीकी लोगों को ऐसी स्थिति प्रदान करनी थी जिसके द्वारा श्वेत लोगों के अधिपत्य को चुनौती दे सके। इसके साथ–साथ लीग ने अपना तीन वर्षीय 'योजना' कार्यक्रम भी जारी किया गया जिसमें अफ्रीकी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की बात कही गई ताकि अफ्रीकी एकता सकारात्मक रूप अपनाकर श्वेत शासन पर प्रभावशाली दबाव डाल सके। इस प्रकार युवा लीग के दोहरी भूमिका प्रदान की गई एक तरफ जहाँ वहाँ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के दबाव समूह के रूप में कार्य किया, वहीं दूसरी तरफ जनसाधारण में जनचेतना उत्पन्न करने का कार्य भी शामिल था।

सन् 1948 ई. में मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस युवा शाखा के सचिव बने उसके दो वर्ष बाद ही वे इस संगठन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1952 ई. में वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नियुक्त हुये। इसके साथ ही उन्होंने रैलियों और हड़तालों के माध्यम से आन्दोलन जारी रखा। इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। मंडेला अपना काम इस तरह करते थे कि किसी को भी पता नहीं चल पाता था। वे इतने कुशल थे कि दक्षिण अफ्रीका की प्रेस ने उन्हें चतुर और चालाक कहना शुरू कर दिया था। मंडेला ने लोगों को कभी भी रंगभेद के आधार पर विभाजित करने का विचार नहीं किया। सभी नस्ल के लोगों को वे एक सा मानते थे। रंगभेद वाली सरकार के लिए यह एक नसीहत थी।

1952 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया जिसका नेतृत्व मंडेला ने किया। अफ्रीकीराष्ट्रवाद का विचार– 'अफ्रीकावासियों का अफ्रीका' नारा दिया गया। यह नारा मरियम गारवे ने दिया जिसकी तुलना 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन से की जाती है। वस्तुतः न तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और न ही इसकी कोई शाखा श्वेतों को दर–किनारे करना चाहती थी। अश्वतो का नेतृत्व श्वेतों को समानता के लिए बाध्य कर रहा था। इसलिये वे ऐसे अंतर्जातीय समाज के निर्माण के पक्षधर थे जिसमें कोई रंगभेद नीति या श्वेतों का वर्चस्व न हो। वे जातीय विवाद के सुझाव पर सहमत नहीं थे। इसके बदले एक प्रजातांत्रिक प्रशासन का समर्थन कर रहे थे। ये सभी कार्य मंडेला के नेतृत्व में हो रहा था।

मंडेला चाहते थे कि गोरी सरकार उनके देशवासियों की भावनाओं को अच्छी तरह से समझ जाए। उनका उद्देश्य था गोरी सरकार दमन और अत्याचार के बूते पर करोड़ों अश्वेतों की भावनाओं को नहीं कुचल सकती।लेकिन दक्षिण अफ्रीकी सरकार का इसका असर उलटा हुआ उसमें रंगभेद नियम को ओर भी कड़ा कर दिया। श्वेत सरकार ने घोषणा कर दी जो भी व्यक्ति देश की रंगभेद नीति का विरोध करेगा। उसे 300 पौंड का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही 3 वर्षों की कड़ी कैद की सजा होगी। मंडेला को सन् 1952 में 8 महीने की सजा दी गई। उनकी सजा पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उसी साल उनकी सजा ओर दो वर्षों के लिए बढ़ा दी गयी उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है– ''गोरी सरकार ने मुझे एक अपराधी घोषित किया ऐसा इसलिए नहीं कि मैंने कोई अपराध किया था ऐसा इसलिये कि मैंने लोगों के लिए मुक्ति मांगी थी।''

जेल की सजा पूरी करने के पश्चात् उन्होंने ओलिवर टेम्बो के साथ मिलकर एक ऑफिस खोला। वह ऑफिस वकीलों का था जिसमें पीड़ित अश्वेत लोगों का मुकदमा निःशुल्क लड़ा जाने लगा। इसके साथ–साथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस गतिविधियाँ काफी तेज हो गयी और मंडेला फिर पकड़े गये और उन पर कम्युनिस्ट होने का आरोप लगाया गया लेकिन सरकार अभियोग को सिद्ध नहीं कर पायी और मंडेला को छोड़ना पड़ा इससे उनको काफी लोकप्रियता हासिल हुई।

राजद्रोह का मुकद्दमा

नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में 'युवा लीग' का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था जिससे श्वेत सरकार परेशान हो उठी। अतः उसने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और युवा लीग से संबंधित हजारों ऑफिसों और घरों पर छापा डाला गया और बड़े पैमाने पर राजनीतिक साहित्य को जब्त किया गया। अनेक अफ्रीकन नेताओं को ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर निकाल दिया गया तथा भीड़ इकट्ठा कर सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आरक्षित क्षेत्रों में अफ्रीकन द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को नियंत्रण रखने के लिए सरकार को अधिक शक्ति दी गई। जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के आह्वान पर रैलियों का आयोजन किया। 1956 के दि नेटिव एडमिनिस्टेशन संशोधित एक्ट ने सरकार को बिना अदालती सुनवाई और आदेश के अफ्रीकन लोगों को बाहर निकालने की शक्ति प्रदान की और 1858 की नं. 52 घोषणा ने इन लोगों के इन क्षेत्रों में प्रवेश और अन्य अफ्रीकी क्षेत्र में प्रस्थान पर कठोर प्रतिबंध लगाए। 1958 की एक अन्य घोषणा के द्वारा सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह अफ्रीकन आरक्षित क्षेत्र में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और अन्य किसी भी संगठन को गैर कानूनी घोषित कर सकता है। तथा एक अन्य घोषणा के तहत अफ्रीकी लोगों के बन्दूकें, कुल्हाड़ी, भारी लाठिया और अन्य हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

दिसम्बर 1956 ई. में पुलिस ने कांग्रेस संगठन के विरुद्ध कदम उठाये और देश के विभिन्न भागों से 156 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया। लगभग एक साल की तैयारी के पश्चात् 91 लोगों को मुकदमे के लिए दोषी ठहराया गया। पहले दोषारोषण को वापिस ले लिया गया और 30 लोगों के

खिलाफ एक नया अभियोग लगाया गया। मुकदमा चार वर्षों तक खींचा गया और 29 मार्च, 1961 ई. को सभी दोषियों को मुकदमों से मुक्त और अलग कर दिया गया और 61 लोगों के खिलाफ चल रहे मुकदमों को भी वापिस ले लिया गया। शक्ति सम्पन्न अधिकारी द्वारा कठोर मापदण्डों और राजद्रोह मुकद्दमों से बिना घबराये कांग्रेस गठबंधन अपना प्रचार कार्य और वैचारिक सफलता प्राप्त करता रहा।

शार्पविल्ले की घटना

दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में शार्पविल्ले हत्या–काण्ड का बहुत महत्त्व है। 1956 में शुरू हुआ देश–द्रोह का मुकद्दमा अभी समाप्त नहीं हुआ था, कि देशभक्त राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं ने सरकार के 'पास कानून' के विरोध में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करने का निश्चय किया।

21 मार्च सुबह 7 बजे पान अफ्रीकन कांग्रेस के नेताओं ने अपने पास (परमिट) को नष्ट कर गिरफ्तारी दी। इसी बीच इस कानून के विरोध में शार्पविले के पुलिस स्टेशन के समक्ष लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लगभग दोपहर 1:40 पर दक्षिण अफ्रीका के 75 पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर लगभग 700 गोलियाँ चलाई जिसमें 69 लोग मारे गये और 180 लोग बुरी तरह घायल हुए।

अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने इस हत्याकांड के विरोध में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने और एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया। इसी दिन सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और पान अफ्रीकन कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। 30 मार्च को आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और पान अफ्रीकन कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इस प्रकार राष्ट्रीय आजादी आंदोलन द्वारा 50 वर्षों से चले आ रहे शांतिपूर्वक संघर्ष का मार्ग बंद कर दिया गया।

इस घटना के दो वर्ष बाद अदालत में पेश किए जाने पर नेल्सन मंडेला ने अपने बयान में कहा, ''सरकारी हिंसा के जवाब में हिंसा का ही जन्म होता है। हमने सरकार को बार–बार चेतावनी दी है कि सरकार द्वारा लगातार हिंसा का सहारा लेने से देश में जनता की ओर से जवाबी हिंसा ही सामने आएगी और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार के होश ठिकाने नहीं आ जाते। जब तक हमारी जनता और सरकार के बीच हिंसा के जरिये विवादों का निपटारा अंतिम तौर पर नहीं हो जाता। इस बात के पर्याय संकेत मिल चुके हैं कि जनता जानबूझकर सरकार के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि सरकार की समझ में महज यही भाषा आती है।''

भारतीय संसद ने भी इस घटना पर एक शोक प्रस्ताव पारित किया। इस शोक प्रस्ताव को रखते हुए नेहरू ने कहा– ''शार्पविले नरसंहार के पीछे दक्षिण अफ्रीकी सरकार की एक सोची समझी नीति है, जो सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में उन सभी मानवीय मूल्यों और भावनाओं का विरोध करती है जिससे प्रचार–प्रसार के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है और जिसका हम समर्थन करते हैं। यह उन सभी मान्यताओं की अवमानना करती हैं जिसकी हर सभ्य सरकार तरफदारी करती है।''[11]

सशस्त्र संघर्ष की घोषणा

अश्वेत अफ्रीकी नेताओं का यह मानना व्यर्थ सिद्ध होगा कि प्रीटोरिया सरकार पर आरोपित संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों से उनका स्वतंत्रता आन्दोलन त्वरित मजबूत होगा। आरम्भ में, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस संघर्ष को संवैधानिक तरीकों को अपना रही थी, अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहती थी लेकिन शीघ्र ही उसे वास्तविकता का आभास हुआ कि ऐसे समय जब सरकार दमनात्मक कार्रवाई से बलपूर्वक स्वतंत्रता आन्दोलन को कुचल रही है तब अहिंसा और संवैधानिक तरीके वाजिब नहीं है। यही मोड़ था जहाँ से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने हथियार बंद संघर्ष की घोषणा की।

श्वेत सरकार की निर्दयता और अत्याचार का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने महसूस किया कि अहिंसक साधनों तक सीमित रहने से हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने जलती मशाल का निशान बनाकर एक सशस्त्र आन्दोलन शुरू किया।

नेल्सन मंडेला ने साहसिक घोषणा की कि ''हम तब तक सशस्त्र संघर्ष जारी रखेंगे जब तक अल्पसंख्यक गोरी सरकार रंगभेद व्यवस्था को समाप्त करके बहुसंख्यकों अश्वेतों से बातचीत नहीं करती।''

हालांकि आरम्भ में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस संघर्ष के संवैधानिक तरीके अपना रही थी। हड़तालों और शांतिपूर्ण आंदोलनों के माध्यम से वह अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाहती थी लेकिन श्वेत सरकार के अत्याचारों और 1960 के शार्पविले हत्याकांड ने इस नेताओं को सोचने पर विवश कर दिया। यही कारण था कि दिसम्बर 1961 को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सैनिक शाखा का गठन किया गया। इसका नाम उमाखोतों वे सिज्वे (स्पीअर ऑफ द नेशन – राष्ट्र के हिरावल) रखा गया। यह एक छापामार संगठन था और गठन के समय से ही इसने अपनी गतिविधियाँ शुरू कर दी। अपनी सशस्त्र शुरूआत से अपनी अंत अर्थात् 1990 तक उनका सशस्त्र संघर्ष निरंतर जारी रहा।

इसके गठन से पूर्व ही मंडेला ने पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए कहा कि, ''अब मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि महात्मा गाँधी द्वारा दिखाया गया अहिंसा का मार्ग मेरा रास्ता नहीं हो सकता। मैं इस अध्याय को यहीं समाप्त कर रहा हूँ।''

उमाखोतों सिज्वे जिसे एम.के. नाम से भी जाना जाता था, जिसका अपना एक संस्थागत ढांचा था जोकि हाईकमान के द्वारा संचालित था। इस संगठन ने मुख्य हड़तालों, छापामार युद्ध और खुली क्रांति करने जैसे साधनों को अपनाया।

मंडेला ने 28 मार्च, 1961 ई. को अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की सैनिक इकाई के कमाण्डर का कार्यभार स्वयं संभाल लिया। मंडेला ने कार्यवाही समिति की हैसियत से तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.एफ. बेरबोर्ड को दो पत्र 20 और 30 अप्रैल, 1961 को लिखे थे। उनके दो पत्रों का उत्तर गोरी सरकार ने पुलिस दमन तेज करके और लगभग 10 हजार अश्वेत अफ्रीकियों को गिरफ्तार करके दिया। इससे मंडेला का धैर्य का बांध टूट गया। बाद में उन्होंने विद्रोह की घोषणा कर दी।

16 दिसम्बर, 1961 में इसका घोषणापत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया कि प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे या तो अधीनता को स्वीकार करना पड़ता है या फिर लड़ाई को और वह समय दक्षिण अफ्रीका में आ गया है और हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। हम और यह संगठन स्वतंत्रता और लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए नये साधन अपनायेंगे। इसके साथ–साथ यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी सहायता प्रदान करेगा और इसके सदस्य भी इस आंदोलन से जुड़े रहेंगे।''

इसी उद्देश्य को पूरा करने व स्वाधीनता संग्राम का संदेश फैलाने के लिए मंडेला ने कई देशों का दौरा किया। वे उत्तरी और दक्षिणी रोडेशिया, तंजानिया और केन्या गये। फिर इथापिया जाकर उन्होंने पाफमेका सम्मेलन में भाग लिया। वहाँ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की स्थिति से सबको अवगत कराया। मंडेला के सौम्य व्यक्तित्व और ओजस्वी भाषण से सभी प्रभावित हुए। वहाँ अन्य देशों की यात्रा का भी कार्यक्रम बनने लगा, इस पर मंडेला ने अपनी असमर्थता व्यक्त कीं उन्होंने कहा मुझे वापस स्वदेश जाकर संगठन में लग जाना है। आप लोग कुछ भी सहायता अथवा साधन भेजेंगे, उसके लिए हम कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने बाद में अपनी यात्रा के विषय में कहा कि यह मेरे जीवन में प्रथम अवसर था जब मैं आजाद व्यक्ति था।

सैनिक संगठन के निर्माण के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के कई शहरों में सरकारी भवनों और अन्य प्रतिष्ठानों पर अश्वेत लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। जिसकी जिम्मेदारी उमाखोतों सिज्वे

ने ली। जिसकी नेतृत्व मंडेला कर रहा था। इसके साथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेताओं की धर पकड़ जोरों से शुरू हो गयी। दो वर्ष तक नेल्सन मंडेला भूमिगत रहे। इस दौरान उन्होंने यूरोपीय देशों की यात्रा कर उनसे अनुरोध किया कि दक्षिण अफ्रीका की आजादी की लड़ाई में सहयोग करें और संघर्षरत दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों लोगों के नेताओं को आर्थिक सहयोग करे लेकिन शीघ्र ही वे पकड़े गये उन पर आरोप था कि बिना वैध पासपोर्ट के आप ने विभिन्न देशों की यात्राएँ की है। देश के लोगों को रंगभेद नीतियों के खिलाफ भड़काया है। अगस्त 1962 ई. में उन्हें 5 वर्ष की कठोर सजा हुई।

रिवानिया प्रकरण

मंडेला के जेल प्रवास के दौरान ही उन पर एक और मुकद्दमा चला। क्योंकि 'उमाखोतों वे सिज्वे' के रिवानिया स्थित भूमिगत मुख्यालय पर छाया मारा गया जिसमें प्राप्त किए कुछ कागज दस्तावेज में दर्ज कार्यवाहियों के आधार पर, उन पर देशद्रोह का अभियोग लगाया गया। जुलाई 1962 ई. की जोहान्सबर्ग के निकट रिवानिया में पुलिस ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं को गिरफ्रतार कर लिया।

उमाखोतों वे सिज्वे संगठन के समूचे नेतृत्व की गिरफ्रतारी से आंदोलन कुछ लड़खड़ाया। बाद में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अपनी कार्यवाहियों को पुनः संचालित करने लगी। एक तरफ सरकार फासिस्ट रुख अख्यितार करती, दूसरी तरफ सरकार विरोधी आंदोलन एक के बाद एक तेज होते जाते। सोवेटो विद्रोह 'गाफ स्ट्रीट काण्ड' स्टीवबीको और बेजामिन मोलाइस द्वारा संचालित जन–आंदोलन इसके उदाहरण है। ये आंदोलन अफ्रीका जनता के जघन्यपूर्ण बर्बर नस्लवादी शास्त्र के खिलाफ लगातार तेज होते रहे।

मंडेला और अन्य नेताओं पर मुकद्दमा कई महीनों तक चला। मंडेला को यह साफ हो चुका था कि उन्हें प्राण–दण्ड मिलेगा। लेकिन मंडेला का कहना था कि ''आप (गोरी सरकार) यदि समझते हैं कि मुझे मृत्युदण्ड देने से दक्षिण अफ्रीका की आजादी की लड़ाई समाप्त हो जाएगी तो आप एक भ्रम में है, मेरी मौत मेरे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। वह निश्चित रूप से अपने संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक देश को पूर्ण आजादी प्राप्त नहीं हो पाती।''

मंडेला ने 'रिबोनिया मुकदमें' के दौरान अपने बयान में कहा कि, ''हमारी धारणा है कि सरकार नीति के फलस्वरूप अफ्रीकी जनता के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना अनिवार्य हो गया... विरोध व्यक्त करने के सभी कानूनी तरीकों पर सरकार ने कानून के जरिये प्रतिबंध लगा रखा है और हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि या तो हम स्थायी तौर पर गुलामी कबूल करे या कानून का उल्लंघन करे। हमने कानून का उल्लंघन करना बेहतर समझा। हमने कानून का पहले इस तरह उल्लंघन किया ताकि हिंसा को अलग रखा जाये, लेकिन जब हमारे इस तरीके पर भी रोक लगा दी गई और सरकार ताकत के बल पर हमारे विरोध का गला घोंटने पर उतारू हो गई, तब केवल उसी हालत में हमने हिंसा का जवाब हिंसा से देने का फैसला किया।''

12 जून, 1964 ई. में मुकद्दमें में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेल्सन मंडेला और वाल्टर सिसलु सहित 8 सदस्यों को आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया। फैसले के अगले दिन इन लोगों को दक्षिण अफ्रीका के अत्यंत खतरनाक यातना–शिविर रॉबेन द्वीप समूह भेज दिया गया।

गवाही के दौरान मंडेला ने कहा, ''मैं अश्वेत लोगों को अत्याचारों से मुक्त दिलाने के लिए संकल्प ले चुका हूँ। मैंने जो कुछ भी किया, दक्षिण अफ्रीका में अपने अनुभवों के आधार पर किया।''

जेल प्रवास के दौरान नेल्सन मंडेला कई प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ा लेकिन ये यातनायें उनके मनोबल और दृढ़ निश्चतता को नहीं तोड़ पाई यही कारण था कि उन्होंने अपने स्वतंत्रता आंदोलन को न बन्द करने का फैसला किया जबकि इसकी समाप्ति की शर्त पर वो रिहा हो सकते थे उनके इस आत्मविश्वास के कारण ही विश्व के विभिन्न देशों ने दक्षिण अफ्रीका सरकार से रंगभेद की नीति को समाप्त करने और मंडेला सहित अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सभी नेताओं को रिहा करने की अपील की।

1980 ई. को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् ने उनकी रिहाई का प्रस्ताव पारित किया। इसी के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय आन्दोलन चल पड़ा आर्थिक प्रतिबन्ध लगे और राजनयिक संबंध विच्छेद हुये।

मंडेला की जिन्दगी के ढेर सारे वर्ष जेल में बीत गये। 1985 ई. में तत्कालीन राष्ट्रपति पी.डब्ल्यू. बोथा ने हिंसा त्यागने की शर्त पर नेल्सन की रिहाई की पेशकश की। अश्वेतों के पूर्ण राजनीतिक अधिकार की मांग करते हुये मंडेला ने उस शर्त को ठुकरा दिया। ''उनका कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं जेल से बाहर आना चाहता हूँ, मैं अपनी आजादी चाहता हूँ। हाँ, मुझे आप सबों की आजादी और देश की आजादी अपनी आजादी से अधिक प्रिय है।''

दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने रंगभेदी नियमों को और अधिक कड़ा कर दिया और 1987 ई. में सरकार ने आपातकालीन स्थिति की घोषण कर दी। राष्ट्रपति बोथा रंगभेद नीति के कट्टर समर्थक थे इसी बीच ग्रेट ब्रिटेन को छोड़कर दुनिया में प्रभावशाली देशों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये। इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गयी। गोरे व्यापारी धीरे–धीरे दक्षिण अफ्रीका छोड़ने लगे क्योंकि वो समझ चुके थे इस स्थिति में सरकार उनकी जानमाल की रक्षा नहीं कर पायेगी।

मंडेला की जेल से रिहाई

विश्व समुदाय और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के दबाव के चलते दक्षिण अफ्रीका की सरकार अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेताओं को अधिक समय तक जेल में रख पाने में सफल नहीं हो सकी और विश्व जनमत के दबाव के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति डी. क्लार्क को मंडेला और अन्य कांग्रेस नेताओं को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और 11 फरवरी, सन् 1990 ई. को दक्षिण अफ्रीका सरकार ने मंडेला को पर्ल विक्टर वर्सटर कारागार से मुक्त कर दिया जिसका स्वागत न केवल दक्षिण अफ्रीका की जनता ने बल्कि विश्व के सभी देशों ने किया। इसके साथ ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर लगे प्रतिबंध भी हटा लिए गए। स्वागत रैली की सम्बोधित करते हुए मंडेला ने फिर अपने संदेश दोहराया कि ''वे गोरों के खिलाफ नहीं बल्कि रंगभेद नीति के विरुद्ध है।''

दक्षिण अफ्रीका में यह क्रांतिकारी परिवर्तन हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के अथक संघर्ष बलिदान के फलस्वरूप आया। जहाँ एक ओर दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोग अपने संघर्ष में जुटे हुए थे, वहाँ विश्व समुदाय भी उनके प्रयत्नों को अपना पूरा समर्थन दे रहा था। उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि 27 वर्ष और 7 महीने के कारावास भोगने के पश्चात् मंडेला को रिहा कर दिया गया। इतना होने के बावजूद भी मंडेला के मन में श्वेतों के लिए घृणा नहीं थी वे तो सिर्फ अश्वेतों के लिए श्वेतों के तरह अधिकार और स्वतंत्रता चाहते थे। ये उनका मानवतावादी दृष्टिकोण ही था कि 10 मई, 1994 में राष्ट्रपति बनने पर उन्होंने श्वेतों को साथ लेकर चलने का आह्वान किया। उनका राष्ट्रपति बनना विश्व की सबसे बड़ी अद्भूत घटना थी क्योंकि कुछ समय पूर्व तक उन्हें उस देश में नागरिक का दर्जा भी प्राप्त नहीं था। दक्षिण अफ्रीका के काले इतिहास को समाप्त करने में नेल्सन मंडेला ने जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय है।

मंडेला का प्रभाव केवल अफ्रीका तक ही सीमित नहीं रहा। मानवता की इस मूर्ति को 'दक्षिण अफ्रीका के गाँधी' के नाम से जाना जाने लगा। भारत ने भी उन्हें 1990 में 'भारत रत्न' प्रदान

कर उनकी प्रतिभा को सम्मानि किया 1994–1999 तक वे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे और इस दौरान उन्होंने दक्षिण–अफ्रीका को एक नया स्वरूप प्रदान किया। जहाँ वर्तमान में श्वेत और अश्वेत जनता मिल–जुल कर राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगी हुई। आज मंडेला हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके आदर्श आज भी विश्व के लोगों को दिशा प्रदान कर रहे है मंडेला जब तक जीवित रहे उन्होंने मानव सेवा और अहिंसा का समर्थन व प्रचार किया। जहाँ कहा कही भी मानवाधिकारों की बात आती है वहाँ मंडेला को हमेशा याद किया जाएगा। केवल यही ही नहीं यदि मंडेला के आदर्शों को सही ढंग से अपनाया जाये तो न केवल अफ्रीकी देशों बल्कि विश्व की अनेक समस्याओं समाधान किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. उमाशंकर झा, 'नेल्सनवाद : एक नवीन अवधारणा के रूप में', अफ्रीका, रीडस लाईन, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1994
2. के.के. विरमानी, 'नेल्सन मेंडला एक संघर्षपूर्ण व्यक्तित्व', अफ्रीका, रीडस लाईन, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1994
3. नेल्सन मंडेला, 'दि स्ट्रर्गल इज माई लाईफ', लंदन, केन कोलिन हाउस, 1996
4. पृथ्वीनाथ पाण्डेय, 'क्रांतिदूत–नेल्सन मंडेला', इलाहाबाद, सर्वेश प्रकाशन, 1994
5. आनन्द स्वरूप वर्मा, 'नेल्सन मंडेला की संघर्ष यात्रा', दक्षिण अफ्रीका गौरे आतंक के खिलाफ काली चेतना, इलाहाबाद, नीलाभ प्रकाशन, 1991
6. हरजिंदर सिंह, 'दक्षिणी अफ्रीकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध और राज्य संघर्ष का प्रभाव', अफ्रीका, रीडस लाईन, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1994
7. मार्टिन कालुंगु–बादा 'नेल्सन मण्डेला जैसा नेतृत्व' (अनुवादित– नीलाभ), अरविन्द कुमार पब्लिशर्स गुडगाँव, 2007